नकल आदेश दिनांक-18/12/2014 की सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित मय नजरी नक्शा सहित

न्यायालय सहा0 कलैक्टर (प्रथम श्रेणी)/परगनाधिकारी धनौरा

वाद संख्या :- 19 /2014

अर्न्तगत धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधि0
ग्राम शहवाजपुर गूजर, परगना व तहसील धनौरा।

श्रीमती अनिता बनाम ग्राम पंचायत

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्रीमती अनिता पत्नी अशोक कुमार निवासी मौ0 चामुण्डा धनौरा, तहसील धनौरा जिला अमरोहा के प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2014 के द्वारा दायर कर अनुरोध किया गया है कि प्रार्थिनी की भूमि स्थित ग्राम शहवाजपुर गूजर, तहसील धनौरा के गाटा संख्या 13 रकबा 1.018 है0 की स्वामी व काबिज है तथा उक्त भूमि बतौर संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी--1 में अंकित है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि के प्रयोग में नहीं लायी जा रही है, बल्कि अकृषिक प्रयोग में आ रही है और अन्त में प्रार्थिनी द्वारा उक्त भूमि को कृषि कार्य के स्थान पर अकृषिक भूमि घोषित की किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धनौरा से जॉचोंपरान्त आख्या तलब की गई। तहसीलदार धनौरा द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 15.12.2014 के अर्न्तगत अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि सरकारी अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी--1 के रूप में अंकित है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर कृषि, कुक्कुट पालन, मतस्य पालन का कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उक्त भूमि अकृषिक भूमि के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है और भूमि धारा 132 की नहीं है। अन्त में उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

मैंने वादी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार धनौरा की जॉच आख्या दिनांक 15.12.2014 का अवलोकन किया, जिससे मैं इस निष्कार्ष पर पहुँचता हूँ कि अमर सिहं मैमोरियल ऐजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी, शेरपुर रोड धनौरा द्वारा प्रबन्धक श्रीमती अनिता पत्नी अशोक कुमार निवासी मौ0 चामुण्डा धनौरा, तहसील धनौरा जिला अमरोहा की भूमि स्थित ग्राम शहवाजपुर गूजर, तहसील धनौरा के गाटा संख्या 13 रकबा 1.018 है0 कृषि कार्य हेतु प्रयोग में नहीं आ रही है तथा नक्शा नजरी भी दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी की उपरोक्त भूमि जो कि नक्शा नजरी में लाल स्याही से दर्शायी गई है तथा तहसीलदार धनौरा द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 15.12.2014 के द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है, को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अमर सिहं मैमोरियल ऐजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी, शेरपुर रोड धनौरा द्वारा प्रबन्धक श्रीमती अनिता पत्नी अशोक कुमार निवासी मौ0 चामुण्डा धनौरा, तहसील धनौरा जिला अमरोहा की भूमि स्थित ग्राम शहवाजपुर गूजर, तहसील धनौरा के गाटा संख्या 13 रकबा 1.018 है0, जो कि नक्शा नजरी में लाल स्याही से दर्शायी गई है, को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। नक्शा नजरी आदेश का अंग रहेगा। परवाना अमलदारामद जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक :- 18.12.2014

(शिवदयाल)
सहा0 कलैक्टर (प्रथम श्रेणी)/
परगनाधिकारी धनौरा

नक्शा नजरी

ग्राम - शहबाजपुर[illegible]
परगना - धनौरा
तह0 - धनौरा
जिला - अमरोहा
बाबत गाटा नं0 13

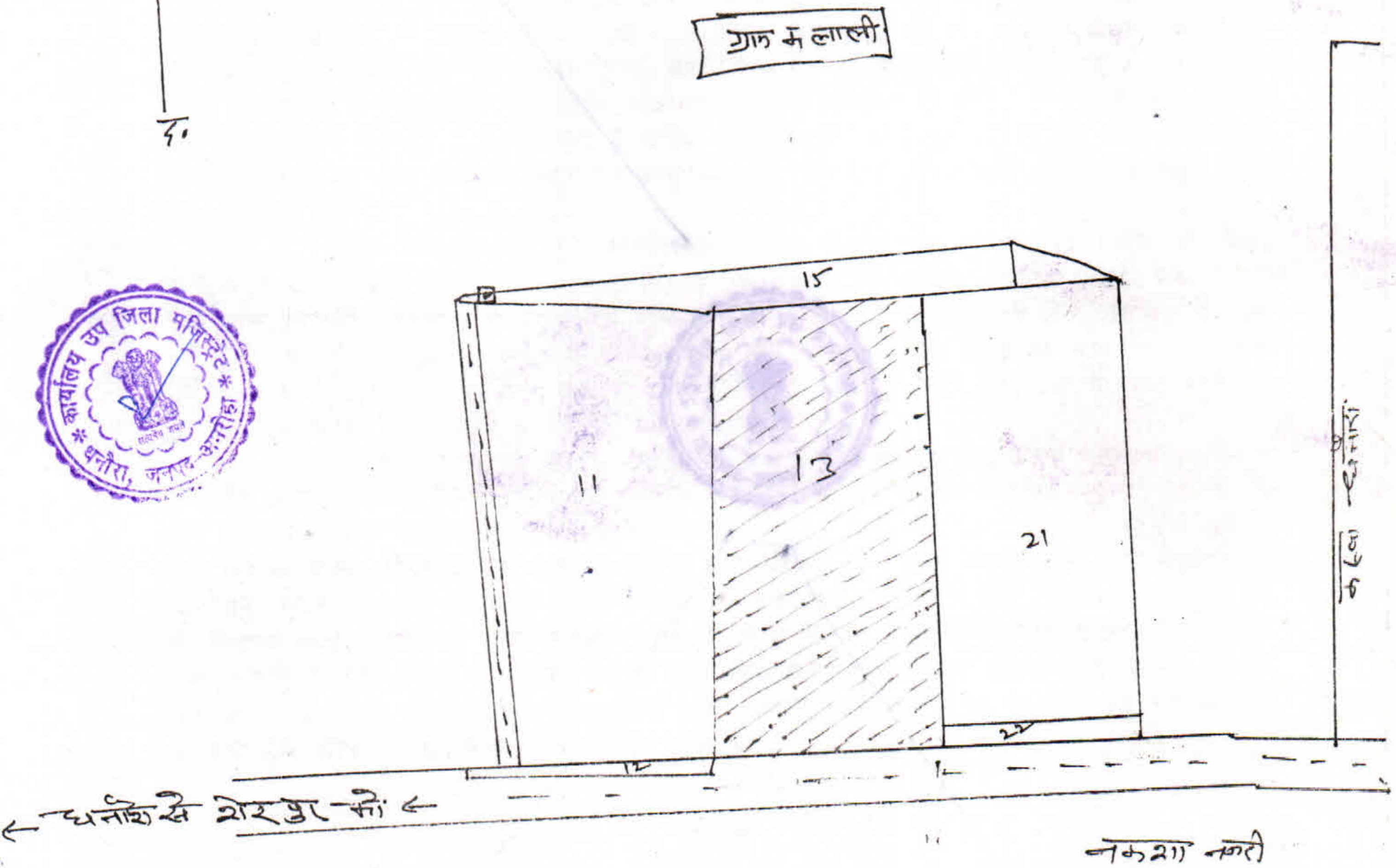

नक्शा नजरी

लेखपाल
08-12-2014
भगवान सिहं लेखपाल
क्षेत्र–धनौरा

08/12/14
प्र0 राजस्व निरीक्षक
तह0 धनौरा
जिला

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित

138 18/12/2014

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट धनौरा, जनपद अमरोहा